P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अशोक कालीन प्रान्तीय प्रशासनिक व्यवस्था तत्कालीन अभिलेखों के सन्दर्भ में

शिव कुमार
शिक्षक
बेसिक शिक्षा स्कूल,
छाता, मथुरा भारत

सारांश

अशोक के शिलालेखों, स्तम्भ, लेखों, एवं लघु शिलालेखों में तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोश्ठी, अमेरिकन और यूनानी लिपियों में अंकित थे तथा देश के विभिन्न भागों में प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों की है। जो देश के प्रायः सभी भागों में मिले हैं।

मुख्य शब्द : राजुक, महामात्र, कुमार, धर्ममहामात्र, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरि, तोसली।

प्रस्तावना

लेखन के आधार पर ब्राह्मी और खरोश्ठी लिपि में लिखे गये अभिलेख तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हैंः–

शोध का उद्देश्य

1. अशोक कालीन प्रान्तीय प्रषासन का अभिलेखों में उल्लेख का अध्ययन करना।
2. अशोक कालीन अभिलेखों में प्रान्तीय शासन व्यवस्था के पदाधिकारियों का सन्दर्भ प्राप्त करना।

सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन

परमेश्वरी लाल गुप्त (1972), प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, भाग 1, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी। इस पुस्तक में लेखक ने अशोक के समय के स्तम्भ, गुंफा, लघु शिलालेखों का मूल पाठ सहित अनुवाद प्रस्तुत किया है। साथ ही पाद टिप्पणी देकर विशय को प्रामाणिकता प्रदान की गई है।

राधाकुमुद्र मुकर्जी (1974) अशोक, मोतीलाल बनारसी दास, नई दिल्ली में लेखक ने अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया। इस ग्रन्थ में लेखक ने अशोक के शिलालेखों में प्रस्तुत प्रशासनिक व्यवस्था का सूक्ष्मतम रूप भी प्रस्तुत किया है।

द्विजेन्द्र नारायण झां (1984), प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, इस ग्रन्थ में लेखक ने प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के समय में अभिलेखों में वर्णित प्रान्तीय प्रषासन का उल्लेख किया है।

के0सी0 श्रीवास्तव (1947), प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, युनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, इस पुस्तक में अशोक कालीन प्रान्तीय व्यवस्था पर विस्तृत लेखन किया गया है। साथ ही पुरातत्व स्रोत के रूप में अभिलेखों को भी प्रस्तुत किया गया है।

वासुदेव उपाध्याय (1970), प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन विश्वविद्यालय प्रकाशन, बनारस। लेखक ने अशोक के समय के अभिलेखों तथा प्रशासनिक तन्त्र पर लेखन किया है।

गुहा अभिलेख

बिहार के गया जिले के अन्तर्गत बराबर पहाड़ में कतिपय गुफाएं हैं। उनमें से तीन पर कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी अभिलेख अंकितकार कराये गये थे।

शिलाभिलेख

पर्वतीय चट्टानों पर अंकित अशोकर के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक हैं। उन्हें अध्ययन सुविधा के लिए 1. मुख्य शिलाभिलेख 2. लघु शिलाभिलेख दो वर्गों में बांटा गया है। मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है।

स्तम्भाभिलेख

इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है– 1. स्तम्भाभिलेख 2. लघु स्तम्भाभिलेख।

स्तम्भाभिलेख की संख्या 14 है तथा लघु स्तम्भाभिलेखों की संख्या 4 है। अशोक ने सम्राट के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की बड़ी ऊँची कल्पना की थी। उसे साकार करने में उसने अपने लिए भी कोई छूट नहीं ली। वह आदर्ष लोक सेवक था–अपने कर्मचारियों की अपेक्षा भी वह अधिक परिश्रम से काम करता था। उसकी दृश्टि में सारी प्रजा उसकी सन्तान थी। राजा के प्रषासन का मुख्य लक्ष्य लोकहित और पराक्रम था। उसने प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन तथा अपने उद्देष्य अर्थात् धाम के प्रचार–प्रसार हेतु महामात्र राजुक जैसे पदाधिकारियों की नियुक्ति की। यह सही है कि अशोक के अभिलेखों का मुख्य उद्देष्य धर्म का प्रतिपादन था। लेकिन धर्म के प्रचार में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अक्षुर्ण्ण रखा। वह सर्वत्र और सभी समय प्रजा के कार्य करता था।

प्रशासन की दृश्टि से अशोक का साम्राज्य कई प्रान्तों में विभाजित था। दूर के प्रान्तों में षासक वाइसराय होते थे। यह पद राजवंष के लोगों के लिए सुरक्षित था, लेखों में जिनकी संज्ञा कुमार या आर्यपुत्र आई है उसी में चार कुमार या वाइसरायों के उल्लेख हैं।

कलिंग के जौगढ़ शिलालेख में लिखा हैं :– 1. देवानंपिये हेवं आ (ह) (।) समापायं महमता लाजवचनिक वतविया (।) अं किछि दखामि हकं तं इछामि हकं (किं) ति कं कमन 2. पटिपातयेहं दुवालते च आलभेहं (।) एस च मे मोखियमत दुबाल एतस अथस अं तुफेसु अनुसथि (।) सव –मुनि – 3. सा मे पजा (।) अथ पजाये इछामि किंति मे सेवणा हिसुखेन युजेयू अथ पजाये इछामि किंति मे सवेन हित–सु– 4. खेन युजेयू ति हिदलोगिक–पाललोकिकेण हेवंमेव में इछ सब मुनिसेसु (।) सिया अन्तानं अविजिता–

इस अभिलेखों में उज्जयिनी और तक्षशिला के उल्लेख से ऐसा प्रकट होता है कि इन स्थानों पर अशोक की प्रादेषिक राजधानियाँ थीं और उनका शासन कुमार (राजकुमार) किया करते थे। प्रान्तीय राजधानियों में तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरि थीं (कलिंग का लेख 1, 2 धौली वाला; लघु चट्टान लेख 1, ब्रह्मगिरि वाला। फा–हियान ने एक अन्य वाइसराय वाले प्रान्त का भी उल्लेख किया जो गंधार में था। यहाँ के वाइसराय का नाम कुमार धर्मविवर्धन था। दिव्यावदान के अनुसार धर्मविवर्धन कुणाल का ही अपर नाम था जिसे अशोक ने अपने राज्यकाल के अन्तिम चरण में तक्षशिला के उपद्रवों को षान्त करने के लिए भेजा था। इससे निश्कर्श निकाल सकते हैं। कि तक्षशिला गंधार प्रान्त की राजधानी रही होगी। कभी–कभी कुमारों के स्थान पर अन्य स्थानीय लोग भी वाइसराय नियुक्त होते थे। पुश्यगुपत वैष्य चन्द्रगुप्त के पष्चिम सूबे का राश्ट्रीय या वाइसराय था। इसकी राजधानी गिरनार में थी। अशोक के समय राजा तुसास्फ जो ईरानी था यहाँ का वाइसराय था। जो प्रान्त केन्द्रीय स्थानों के समीप पड़ते थे वहाँ राज्यपालों की नियुक्ति राजधानी से राजा स्वयं करता था। इनकी राजधानियाँ उन स्थानों में थीं जहाँ स्तम्भ लेख हैं। शिलालेख साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में लिखाए गए थे।

यद्यपि लेखों में किसी वाइसराय का नाम नहीं आया है तथापि किंवदतियों में कतिपय वाइसरायों के नाम मिलते हैं। जब बिन्दुसार राजा था तो उसने अपने दो बेटों–सुसीम (वा सुमन) और अशोक को क्रमषः तक्षशिला और उज्जैनी का वाइसराय नियुक्त किया था। बाद में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ और सुसीम उसका दमन न कर सका तो अशोक को अधिक योग्य समझकर वहाँ भेजा गया था। राज्याभिशेक के अनन्तर अशोक ने अपने छोटे पुत्र तिश्य को अपना उपराज बनाया गया था। जब तिश्य भिक्षु बन गया तो उसके स्थान पर कुमार महेन्द्र की नियुक्ति की गई थी। इस पद वह थोड़े ही समय रहा होगा जब उसने भी प्रवज्या ले ली। सम्भवत् उपराज का पद प्रधानमंत्री के समकक्ष था और युवराज से भिन्न था। अशोक के पिता बिन्दुसार ने खल्लाटक को अपना अग्रामात्य वा प्रधानमंत्री बनाया था। कहते हैं उसने उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक का साथ दिया था। परम्परा है कि अशोक के मंत्री का नाम राधगुप्त था जिसका वह बड़ा विश्वास करता था। उसने भी सिंहासन पाने में और शासन में अशोक की बड़ी सहायता की थीं। वह उसके अग्रामात्य भी बना था।

वाइसरायों के भी मन्त्री हुआ करते थे। उत्तर के ग्रन्थों से पता चलता है कि तक्षशिला की जनता ने मन्त्रियों के अत्याचार से पीड़ित होकर विद्रोह किया था न कि कुमार के विरूद्ध। तक्षशिला के कुमार कुणाल की कथा में राजधानी से उसे अन्धा करने के झूठे आदेश मन्त्री ने ही प्राप्त किये थे। कलिंग लेख 2 से पता चलता है कि वाइसरायों को भी राजा की भांति अपने महामात्र नियुक्त करने का अधिकार था जो समय–समय पर दौरों पर जाते थे और न्याय–व्यवस्था का निरीक्षण करते थे।

वाइसरायों के साथ महामात्र भी होते थे इस बात की पुश्टि ब्रह्मगिरी के लघु शिलालेख। और धौली के कलिंग लेख 1 से भी होती है। जौगढ़ वाले कलिंग के चट्टान लेख 2 में महामात्रों के एकवर्ग को 'लाजवचनिक' कहा गया है जिसका अर्थ है कि वे सीधे राजा से सन्देश प्राप्त कर सकते थे। अन्यथा महामात्र वाइसराय के जरिए ही सन्देश पाने के अधिकारी थे। इस प्रकार इन महामात्रों को प्रान्तीय गवर्नर मान सकते हैं क्योंकि इन्हें प्रान्त का स्वतंत्र चार्ज मिला हुआ था। समापा (जौगढ़) या इसिल (लघु शिला लेख 1. ब्रह्मगिरि) ऐसे ही एक गर्वनर की राजधानी थी। तोसली एक वाइसराय की राजधानी थी। इस प्रकार कौषाम्बी का आदेश राजा की ओर से सीधे कौषाम्बी के महामात्रों को सम्बोधित है। इसलिए कौषाम्बी भी एक प्रान्त की राजधानी रही होगी। सम्भवतः इन महामात्रों को सम्बोधित है। इसलिए कौषाम्बी भी एक प्रान्त की राजधानी रही होगी। सम्भवतः इन महामात्रों को प्रादेषिक महामात्र कहा जाता था और इस प्रकार ये अन्य महामात्रों से अलग थे। प्रादेषिक (प्रान्तीय गवर्नर) षब्द का प्रयोग शिला लेख 3 (गिरिनार) में कर्मचारियों के एक ऐसे वर्ग के लिए आया है कि जिन्हें हर पांचवें साल अपने समूचे प्रान्त के दौरे की आज्ञा दी गई थी।

1. देवानंप्रियो पियदसि राजा एवं आह (।) द्वादसवासभिसितेन गया इदं आञपितं।

सामान्यतः प्रान्तीय गवर्नरों की संज्ञा 'राजुक' थी। इनकी नियुक्ति अत सहस्र लोगों के ऊपर की गई थी। (स्तम्भ लेख 4), राजुक का पद अशोक से पहले भी था पर अशोक ने इनके अधिकारों में वृद्धि की थी। उसने इन्हें व्यवहार (कानून और न्याय) के मामलों में स्वतंत्रता दी थी ताकि ये निर्भर होकर और पूर्ण विश्वास से अपना काम कर सकें और लोगों के हित और सुख का ध्यान रखें और लोगों पर अनुग्रह करें वे लोगों के सुख–दुःख का कारण जानने का प्रयत्न करेंगे।

अशोक का शासन आंषिक रूप में षाही अर्थात् सीधे सम्राट के अधीन और आंषिक रूप में स्थानीय था अर्थात् वाइसरायों और गवर्नरों के अधीन था। वाइसराय का चार्ज गवर्नरों से विस्तृत था। सम्राट का प्रषासन में कितना हिस्सा था उनके पूरे ब्यौरे नहीं प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों से विदित होता है कि सम्राट का प्रथम कर्तव्य वे मूल सिद्धान्त बतलाना था जिनके आधार पर प्रषासन चलाया जायेगा अर्थात् वह अपने प्रषासकों को नीति निर्देष देता था और समय–समय पर उनके लिए अपने आदेश जारी करता था।

जहाँ तक प्रान्तीय सरकारों का प्रष्न है अभिलेखों में एक प्रकार की सामान्य योजना मिल जाती है। इनमें सबसे बड़ा स्थानीय अधिकारी जो शासन का अध्यक्ष होता था राजुक कहा जाता था। प्रादेषिक का अधिकार–क्षेत्र उससे किंचित छोटा होता था। वह कमिष्नरी के बराबर था। विभागाध्यक्ष भी होते थे (स्तम्भ लेख 7) में जिनकी संज्ञा सुख दी गई है। इनका सामान्य पदनाम महामात्र भी था। इस पदनाम के पूर्व उस विभाग का नाम जोड़ देते थे जिसके वे अध्यक्ष होते थे। लेखों में धर्म विभाग के इंचार्ज धर्ममहामात्रों, स्त्रियों के कार्य इंचार्ज स्त्री–अध्यक्ष–महामात्रों, सीमान्तों के इंचार्ज अंत–महामात्रों (स्तम्भ लेख 1) (दिल्ली टोपरा) का उल्लेख मिलता है।

वाइसराय और प्रान्तीय शासन के अध्यक्षों की सहायता के लिए सिविल अधिकारियों का एक पूरा तंत्र बना हुआ था। सिविल सेवकों की सामान्य संज्ञा पुरुष थी (स्तम्भ लेख 1, 4 और 7) और ये बड़े, छोटे और मध्यम श्रेणियों के होते थे (स्तम्भ लेख 1) स्तम्भ लेख 4 में पुरुशों और राजुकों में भेद किया गया है। इसमें पुरुशों को राजा की मंषा से परिचित बतलाया गया है और कहा गया है कि ये राजुकों को भक्तिपूर्वक सेवा करने के लिए उत्साहित करेंगे। स्तम्भ लेख 7 (दिल्ली टोपरा) में पुरुशों को 'बहुत से लोगों के ऊपर' (बहुने जनसि आयता) कहा गया है जबकि राजुकों के चार्ज में सैकड़ों सहस्र व्यक्ति बतलाए गए हैं। इस प्रकार पुरुष कौटिल्य के गूढ़ (गुप्त) पुरुष वा शासन के निरीक्षक रहे होगें।

निष्कर्ष

प्रान्तीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा व्यवस्थित था तथा केन्द्र के प्रषासन का सीधा संवाद प्रान्तीय प्रशासनिक अधिकारियों से था। इससे स्पश्ट होता है कि प्रान्तीय स्तर पर अधिकारियों को मनमानी करने की छूट नहीं थी।

अंत टिप्पणी

1. *एच.पी. रॉय चौधरी : इंडिया इन दि एज ऑफ दि नन्दाज, पृश्ठ 11*
2. *आर. के. मुखर्जी : एनिषियन्ट इंडिया, पृश्ठ 106*
3. *विनोद चन्द्र : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ0 66–67 तथा भगवती प्रसाद पांथरी : मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 13–14*
4. *के.पी. जायसवाल पूर्वोक्त, हिन्दू पालिटी*
5. *कमलेष अग्रवाल : कौटिल्य अर्थषास्त्र एवं षुक्रनीति की राज्य व्यवस्थाएँ, पूर्वोक्त, पृ0 114–138*
6. *डॉ. परमेश्वरी लाल गुप्त : प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख भाग–1*
7. *षाहबाजगढ़ी शिलालेख नं. 8, पूर्वोक्त, कार्पस इंडीकोरम, प्रथम खण्ड पृ0 28*
8. *डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी : अशोक, पृ0 40–42*
9. *डॉ0 परमेश्वरी लाल गुप्त : पूर्वोक्त, पृ0 29*
10. *डी.आर. भण्डारकर : अशोक, 49–50*
11. *डॉ0 राय चौधरी : पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ0 263*
12. *डॉ0 परमेश्वरी लाल गुप्त : गिरनार शिलालेख, पूर्वोक्त, पृ0 25–26*